

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 सितम्बर 2021—आश्विन 8, शक 1943

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2021

क्र. 84(3)-चार-2021-विनिर्वा.-120.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-म.प्र.-वि.स.-2021, दिनांक 30 सितम्बर 2021 को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, पदेन अपर सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001  
नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2021—8 आश्विन, 1943 (शक)

## अधिसूचना

सं. 434-म.प्र-वि.स.-2021.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से परामर्श से एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से संबंधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434-म.प्र-वि.स.-2018, दिनांक 26 सितम्बर 2018 समय-समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

## सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	रिटर्निंग आफिसर (2)
45-पृथ्वीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पृथ्वीपुर

आदेश से,

हस्ता./-

(मधुसूदन गुप्ता)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 30th, September 2021—8 Asvina, 1943 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 434-MP-LA-2021.—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with Government of Madhya Pradesh, hereby designates the following amendment in its Notification No. 434-MP-LA-2018, dated 26th September, 2018 as amended from time to time, relating to appointment of Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, namely:—

In column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entry against the Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the following entry:—

## TABLE

No. and Name of Assembly Constituency (1)	Returning Officer (2)
45-Prithvipur	Sub-Divisional Officer (Revenue), Prithvipur

By order,

Sd./-

(MADHUSUDAN GUPTA)

Secretary,

Election Commission of India.